संख्या-175/2016/825/22-2-2016-17(213)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 सितम्बर, 2016***

विषय:- जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राज कुमार पुत्र श्री वंशीलाल निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3284/पर-7(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राज कुमार पुत्र श्री वंशीलाल, निवासी ग्राम-कनकपुर शाहपुर महमूदपुर, थाना-बसखारी, जनपद-अम्बेडकरनगर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 08;06;2010 को समय करीब 12:00 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर योगेन्द्र प्रजापति की पत्नी मालती को चारपाई में बांधकर उसकी नाबालिग पुत्री रमादेवी को अपहृत कर उसके साथ बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-150/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-363, 452, 342, 376(2)जी के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-4, अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक 25.11.2014 को 11 वर्ष कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03-08-2015 तक 05 वर्ष 01 माह 20 दिन की अपरिहार तथा 05 वर्ष 03 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना विद्यमान है, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की सजा पूर्ण होने तक निरूद्ध रखा जाना आवश्यक है, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबशेन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजकुमार पुत्र श्री वंशीलाल को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेयक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजकुमार (बन्दी संख्या-7030/14) पुत्र श्री वंशीलाल निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-175/2016/825(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, फैजाबाद।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-175/2016/825@22-2-2016-17(213)/2016

दिनांक 29 सितम्बर, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राज कुमार पुत्र श्री वंशीलाल, निवासी ग्राम-कनकपुर शाहपुर महमूदपुर, थाना-बसखारी, जनपद-अम्बेडकरनगर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 08;06;2010 को समय करीब 12:00 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर योगेन्द्र प्रजापति की पत्नी मालती को चारपाई में बांधकर उसकी नाबालिग पुत्री रमादेवी को अपहृत कर उसके साथ बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-150/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-363, 452, 342, 376(2)जी के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-4, अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक 25.11.2014 को 11 वर्ष कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03-08-2015 तक 05 वर्ष 01 माह 20 दिन की अपरिहार तथा 05 वर्ष 03 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की पूर्ण सम्भावना विद्यमान है, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की सजा पूर्ण होने तक निरूद्ध रखा जाना आवश्यक है, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबशेन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजकुमार पुत्र श्री वंशीलाल को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।